



परिचय

देश में दिन प्रतिदिन बढ़ते साईबर अपराधो के दृष्टिगत उत्तराखण्ड राज्य में साईबर अपराधो की रोकथाम एवं अपराधो के निवारण की प्रक्रिया मे तेजी लाने तथा साईबर के जटिलतम/ गम्भीर प्रकृति के अपराधो जैसे साईबर वैब साईट की हैकिंग, सरकारी डिजिटल दस्तावेजो से छेड़छाड़, चोरी, साईबर पोर्नोग्राफी, साईबर धोखाधड़ी, अन्य संवेदनशील साईबर अपराधो आदि के अनुसंधान हेतु महामहिम राज्यपाल उत्तराखण्ड की स्वीकृति के आधार पर प्रमुख सचिव, गृह उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश संख्या 844/XX(8)2014-11(06)2014 दिनांक जनवरी 21, 2015 के द्वारा स्पेशल टास्क फोर्स उत्तराखण्ड के अधीन साईबर क्राईम पुलिस स्टेशन स्थापित करने हेतु शासनादेश निर्गत किये गये है। उक्त क्रम में उत्तराखण्ड राज्य के जनपद देहरादून में दिनांक 25-03-2015 को माननीय मुख्यमंत्री उत्तराखण्ड, श्री हरीश रावत जी द्वारा साईबर क्राईम पुलिस स्टेशन का विधिवत उदघाटन किया गया। साईबर थाने में नियुक्त अधिकारी/ कर्मचारीगणों को राज्य एवं राज्य के बाहर प्रशिक्षण संस्थानो में साईबर क्राईम से सम्बन्धित प्रशिक्षण प्रदान कराया गया है तथा साईबर क्राईम से सम्बन्धित एडवांस प्रशिक्षण भी समय समय पर कराये जा रहे है।

साईबर क्राईम पुलिस स्टेशन उत्तराखण्ड, देहरादून हेतु निम्न पदो की स्वीकृति (Allocation)-

क्रम संख्या	पद नाम	पदो की संख्या
1	निरीक्षक नागरिक पुलिस	03
2	उप- निरीक्षक नागरिक पुलिस	06
3	उप-निरीक्षक(एम)	01
4	सहायक उप-निरीक्षक(एम)	01
5	मुख्य आरक्षी नागरिक पुलिस	06
6	आरक्षी	12

साईबर क्राईम पुलिस स्टेशन का कार्यवृत्त

साईबर क्राईम पुलिस स्टेशन का कार्यवृत्त (ROLE)-

1- साईबर क्राईम पुलिस थाने पर प्राप्त होने वाले आई0टी0 एक्ट के निम्न संज्ञेय अपराधों के प्रकरणों का अनुसंधान (विवेचना) 'साईबर क्राइम पुलिस थाना' द्वारा किया जायेगा:-

(क) साईबर क्राइम से संबंधित गम्भीर प्रकृति के अपराध जैसे- 1- सरकारी Website की हैकिंग 2-सरकारी डिजिटल दस्तावेजों से छेड़छाड़, चोरी 3- साईबर पोर्नोग्राफी (बच्चों) 4- साईबर धोखाधड़ी (07 लाख से अधिक की)

(ख) संवेदनशील घटनाओं से संबंधित साईबर अपराध: 1. जिसमें साम्प्रदायिक तनाव 2. समाज के विभिन्न वर्गों में जातिगत एवं धार्मिक वैमनस्य फैलता हो ।

(ग) वित्तीय हानि के साईबर अपराध जो किन्ही आपराधिक गिरोह द्वारा संगठित रूप से किये गये हों ।

(घ) साईबर अपराध जिनसे समाज का बड़ा वर्ग प्रभावित हो ।

(ङ) अन्य साईबर अपराध जो किसी संवेदनशील/ विशेष साईबर अपराध घटना से संबंधित हो ।

(च) राज्य सरकार /पुलिस महानिदेशक द्वारा निर्देशित मुकदमों का अनुसंधान ।

2- राज्य में विभिन्न पुलिस थानों पर प्राप्त होने वाले आई0 टी0 एक्ट से संबंधित अभियोगों की विवेचना के दौरान संबंधित जिला वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/ पुलिस अधीक्षक की संस्तुति पर साईबर क्राईम पुलिस स्टेशन द्वारा विवेचको को तकनीकी सहयोग प्रदान किया जायेगा ।

बैंक फ्रॉड कम्प्लेंट सैल:- बैंक/एटीएम से सम्बन्धित विभिन्न धोखाधड़ी के प्रकरणों के त्वरित निस्तारण हेतु साईबर क्राईम पुलिस स्टेशन में बैंक/ एटीएम फ्रॉड कम्प्लेंट सैल का गठन किया गया है। जिसमें निम्न अधिकारी/ कर्मचारीगणों नियुक्त किये गये हैं:-

- 1- निरीक्षक श्री भारत सिंह
- 2- मुख्य आरक्षी विनोद बिष्ट
- 3- आरक्षी मुकेश कुमार
- 4- आरक्षी मौ0 उस्मान

सोशल मीडिया मॉनिटरिंग सैल:- सोशल मीडिया के बढ़ते अपराधों की निगरानी हेतु साईबर क्राईम पुलिस स्टेशन में सोशल मीडिया मॉनिटरिंग सैल का गठन किया गया है, जिसमें निम्न अधिकारी/ कर्मचारीगणों नियुक्त किये गये हैं:-

1. निरीक्षक श्री भारत सिंह (प्रभारी)
2. आरक्षी नितिन रमोला
3. आरक्षी रवि बोरा



संपर्क :-

प्रभारी निरीक्षक - श्री भारत सिंह

मोबाईल-09897659009

साईबर क्राईम पुलिस स्टेशन

निकट फायर स्टेशन, गाँधी रोड देहरादून - 248001

ई-मेल – ccps.deh@uttarakhandpolice.uk.gov.in

दूरभाष – 0135-2655900